भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3062

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों में व्याप्त रक्ताल्पता

3062. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री इमरान मसूद:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता की व्याप्तता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार रक्ताल्पता की व्याप्तता को कम करने के लिए कोई पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पोषण 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसका बजट परिव्यय कितना है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में कितना व्यय किया गया है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान 15-49 वर्ष की महिलाओं और 6-59 माह की आयु के बच्चों में एनीमिया की व्यापकता का राज्यवार ब्यौरे क्रमश: **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एनीमिया के प्रमुख कारणों में आयरन की कमी, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (जैसे फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए और बी 12), तीव्र और जीर्ण संक्रमण (जैसे मलेरिया, कैंसर, तपेदिक और एचआईवी), कृमि संक्रमण, फ्लोरोसिस, और वंशानुगत या अर्जित विकार शामिल हैं जो हीमोग्लोबिन संश्लेषण, लाल रक्त कोशिका उत्पादन या लाल रक्त कोशिका उत्तरजीविता (जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी) को प्रभावित करते हैं।

(ग) और (घ): जीवन चक्र दृष्टिकोण में भारत सरकार छह लाभार्थी समूहों - 6-59 माह के बच्चे, 5-9 वर्ष के बच्चे, किशोर (10-19 वर्ष), प्रजनन आयु की महिलाएं (15-49 वर्ष), गर्भवती महिलाएं और

स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए 6X6X6 कार्यनीति द्वारा छह कार्यकलापों के माध्यम से एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इन छह कार्यकलापों में शामिल हैं- रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण (आईएफए सिरप 6-59 माह के बच्चों को दो सप्ताह में एक बार दिया जाता है, आईएफए पिंक 5-9 वर्ष के बच्चों को साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, आईएफए ब्लू किशोरों (10-19 वर्ष) को साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, आईएफए रेड प्रजनन आयु समूह की महिलाओं को साप्ताहिक रूप से प्रदान किया जाता है तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आईएफए रेड गोलियां (180 दिनों तक प्रतिदिन) प्रदान की जाती हैं, कृमि मुक्ति, वर्ष भर चलने वाला व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, डिजिटल इनवेसिव हीमोग्लोबिनोमीटर और पॉइंट ऑफ केयर उपचार का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण, मलेरिया पर विशेष ध्यान देते हुए स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लौह और फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान, मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) आंगनवाड़ियों में लाभार्थियों को बेहतर पोषण सामग्री और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करने हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम है।

15वें वित्त आयोग के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मिशन पोषण के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस में मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र

कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

मिशन पोषण के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एनीमिया से संबंधित मुद्दों को उच्च महत्व देने के लिए एनीमिया से संबंधित विशेष थीम शुरू की गई है। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक माह समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

मिशन पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

इस मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी किए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधि का उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक -IV** में दिया गया है।

अनुलग्नक- I

"बच्चों और महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी और श्री इमरान मसूद द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3062 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यापकता (एनएफएचएस 3, एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के बीच तुलना)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एनएफएचएस 3 (2005-06)***	**एनएफएचएस 4 (2015-16)**	**एनएफएचएस 5 (2019-21)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	एनए	65.7	57.5
2	आंध्र प्रदेश	62.9	60	58.8
3	अरुणाचल प्रदेश	50.6	43.2	40.3
4	असम	69.5	46	65.9
5	बिहार	67.4	60.3	63.5
6	चंडीगढ़	एनए	75.9	60.1
7	छत्तीसगढ़	57.5	47	60.8
8	दिल्ली	एनए	54.3	49.9
9	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	एनए	72.9	62.5
10	गोवा	38.0	31.3	39
11	गुजरात	55.3	54.9	65
12	हरियाणा	56.1	62.7	60.4
13	हिमाचल प्रदेश	43.3	53.5	53
14	जम्मू और कश्मीर	52.1	48.9	55.9
15	झारखंड	69.5	65.2	65.3
16	कर्नाटक	51.5	44.8	47.8
17	केरल	32.8	34.3	36.3

18	लद्दाख	एनए	78.4	92.8
19	लक्षद्वीप	एनए	46	25.8
20	मध्य प्रदेश	56.0	52.5	54.7
21	महाराष्ट्र	48.4	48	54.2
22	मणिपुर	35.7	26.4	29.4
23	मेघालय	47.2	56.2	53.8
24	मिजोरम	38.6	24.8	34.8
25	नागालैंड	एनए	27.9	28.9
26	ओडिशा	61.2	51	64.3
27	पुदुचेरी	एनए	52.4	55.1
28	पंजाब	38.0	53.5	58.7
29	राजस्थान	53.1	46.8	54.4
30	सिक्किम	60.0	34.9	42.1
31	तमिलनाडु	53.2	55	53.4
32	तेलंगाना	62.9	56.6	57.6
33	त्रिपुरा	65.1	54.5	67.2
34	उत्तराखंड	49.9	45.2	42.6
35	उत्तर प्रदेश	55.2	52.4	50.4
36	पश्चिम बंगाल	63.2	62.5	71.4

* एनएफएचएस-3 में भारत के 29 राज्यों को शामिल किया गया। एनएफएचएस-3 के एनीमिया अनुमान में नागालैंड को शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक – II

"बच्चों और महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी और श्री इमरान मसूद द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3062 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

6-59 माह की आयु के बच्चों में एनीमिया की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यापकता (एनएफएचएस 3, एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के बीच तुलना)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एनएफएचएस 3 (2005-06)***	**एनएफएचएस 4 (2015-16)**	**एनएफएचएस 5 (2019-21)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	एनए	49.0	40.0
2	आंध्र प्रदेश	70.8	58.6	63.2
3	अरुणाचल प्रदेश	56.9	54.2	56.6
4	असम	69.6	35.7	68.4
5	बिहार	78.0	63.5	69.4
6	चंडीगढ़	एनए	73.1	54.6
7	छत्तीसगढ़	71.2	41.6	67.2
8	दिल्ली	57.0	59.7	69.2
9	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	एनए	82.0	75.8
10	गोवा	38.2	48.3	53.2
11	गुजरात	69.7	62.6	79.7
12	हरियाणा	72.3	71.7	70.4
13	हिमाचल प्रदेश	54.7	53.7	55.4
14	जम्मू और कश्मीर	58.6	53.8	72.7
15	झारखंड	70.3	69.9	67.5
16	कर्नाटक	70.4	60.9	65.5
17	केरल	44.5	35.7	39.4

18	लद्दाख	एनए	91.4	92.5
19	लक्षद्वीप	एनए	53.6	43.1
20	मध्य प्रदेश	74.1	68.9	72.7
21	महाराष्ट्र	63.4	53.8	68.9
22	मणिपुर	41.1	23.9	42.8
23	मेघालय	64.4	48.0	45.1
24	मिजोरम	44.2	19.3	46.4
25	नागालैंड	एनए	26.4	42.7
26	ओडिशा	65.0	44.6	64.2
27	पुदुचेरी	एनए	44.9	64.0
28	पंजाब	66.4	56.6	71.1
29	राजस्थान	69.7	60.3	71.5
30	सिक्किम	59.2	55.1	56.4
31	तमिलनाडु	64.2	50.7	57.4
32	तेलंगाना*	70.8	60.7	70.0
33	त्रिपुरा	62.9	48.3	64.3
34	उत्तराखंड	61.4	59.8	58.8
35	उत्तर प्रदेश	73.9	63.2	66.4
36	पश्चिम बंगाल	61.0	54.2	69.0

* एनएफएचएस-3 में भारत के 29 राज्यों को शामिल किया गया। एनएफएचएस-3 के एनीमिया अनुमान में नागालैंड को शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक – III

"बच्चों और महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी और श्री इमरान मसूद द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3062 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर के अनुसार अक्टूबर 2024 तक मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है*:

क्र.सं.	राज्य का नाम	बच्चे (0-6 माह)	बच्चे (6 माह-3 वर्ष)	बच्चे (3 - 6 वर्ष)	गर्भवती महिला	स्तनपान कराने वाली माता	किशोरियां**	कुल लाभार्थी
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	631	6,860	3,050	681	613		11,835
2	आंध्र प्रदेश	1,98,720	13,50,962	11,29,119	2,23,877	2,07,140	54,320	31,64,138
3	अरुणाचल प्रदेश	1,932	32,851	47,855	2,293	1,719	15,932	1,02,582
4	असम	89,905	11,20,776	16,08,556	1,55,137	81,154	3,81,190	34,36,718
5	बिहार	2,56,726	38,55,777	53,54,855	5,87,049	3,36,600	1,91,919	1,05,82,926
6	छत्तीसगढ़	1,09,178	10,48,404	10,91,639	1,72,092	1,10,436	1,10,948	26,42,697
7	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	2,047	16,762	14,074	3,286	2,042		38,211
8	दिल्ली	57,990	3,50,982	1,44,609	62,358	57,447		6,73,386
9	गोवा	3,590	33,012	13,335	3,491	3,766		57,194
10	गुजरात	1,72,385	14,32,400	14,80,429	2,09,939	1,75,508	66,550	35,37,211
11	हरियाणा	81,130	7,03,542	9,40,987	1,10,868	90,655	14,579	19,41,761
12	हिमाचल प्रदेश	33,257	2,14,233	2,41,029	34,267	32,700	16,740	5,72,226
13	जम्मू और कश्मीर	34,469	3,17,039	3,89,329	38,036	39,348	22,333	8,40,554
14	झारखंड	83,133	12,71,564	14,93,566	1,55,922	90,619	2,64,371	33,59,175
15	कर्नाटक	1,94,335	17,89,555	17,82,724	3,10,877	2,21,252	65,041	43,63,784
16	केरल	95,485	7,47,656	10,36,172	1,09,088	96,811	18,380	21,03,592
17	लद्दाख	739	7,272	8,768	690	821		18,290
18	लक्षद्वीप	424	2,724	650	376	424		4,598
19	मध्य प्रदेश	3,01,052	27,13,737	35,56,074	4,32,353	3,16,315	1,52,296	74,71,827
20	महाराष्ट्र	2,49,073	25,12,253	32,64,643	2,86,249	2,53,865	1,09,307	66,75,390

21	मणिपुर	8,845	99,591	1,63,087	10,763	7,886	45,477	3,35,649
22	मेघालय	7,555	1,27,589	2,20,964	7,803	6,544	43,241	4,13,696
23	मिजोरम	3,719	42,248	60,601	5,544	3,490	19,250	1,34,852
24	नागालैंड	1,483	38,436	64,980	1,134	1,224	25,529	1,32,786
25	ओडिशा	1,86,195	14,74,142	17,93,231	2,79,760	1,94,658	2,64,220	41,92,206
26	पुदुचेरी	2,717	23,314	3,929	2,955	2,928		35,843
27	पंजाब	87,948	6,40,959	7,10,427	90,773	86,037	34,048	16,50,192
28	राजस्थान	2,06,322	18,05,807	16,95,950	3,09,196	2,34,130	41,786	42,93,191
29	सिक्किम	1,288	11,955	16,833	1,298	1,197	8,098	40,669
30	तमिलनाडु	2,24,865	16,70,632	16,90,572	2,62,379	2,28,994	43,943	41,21,385
31	तेलंगाना	60,708	8,23,599	8,63,022	98,402	61,646	26,335	19,33,712
32	त्रिपुरा	8,617	1,20,285	1,66,363	15,335	8,489	34,786	3,53,875
33	संघ राज्य क्षेत्र- चंडीगढ़	2,861	16,381	17,675	3,182	2,810		42,909
34	उत्तर प्रदेश	9,91,253	94,27,897	92,26,208	15,52,687	10,35,505	2,04,097	2,24,37,647
35	उत्तराखंड	46,901	3,71,143	2,35,897	61,387	49,761	72,836	8,37,925
36	पश्चिम बंगाल	3,80,256	32,00,980	41,44,755	5,26,502	3,74,306		86,26,799
	कुल	**41,87,734**	**3,94,23,319**	**4,46,75,957**	**61,28,029**	**44,18,840**	**23,47,552**	**10,11,81,431**

* आंकड़े पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 तक लिए गए हैं

** केवल आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की किशोरियां

अनुलग्नक - I V

"बच्चों और महिलाओं में एनीमिया" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी और श्री इमरान मसूद द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3062 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वर्षवार विवरण तथा उपयोग निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**राशि करोड़ रुपये में**					
		2021-22		**2022-23**		**2023-24**	
		जारी की गई निधि	**उपयोग की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि**	**जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	19.71	13.36	3.85	3.88	12.15	उपयोग प्रमाणपत्र अभी तक देय नहीं है
2	आंध्र प्रदेश	744.60	749.91	827.79	721.45	705.68	
3	अरुणाचल प्रदेश	170.83	230.77	137.78	145.74	162.06	
4	असम	1319.90	1432.19	1651.63	1717.00	2233.31	
5	बिहार	1574.43	1608.02	1740.09	1586.61	1859.29	
6	चंडीगढ़	15.32	23.09	33.10	34.33	19.79	
7	छत्तीसगढ़	606.73	522.72	668.96	571.80	579.46	
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9.33	9.56	5.80	5.80	11.97	
9	दिल्ली	133.11	125.52	182.77	142.84	161.81	
10	गोवा	10.84	12.92	14.71	16.83	13.95	
11	गुजरात	839.86	757.92	912.64	552.30	1126.80	
12	हरियाणा	173.03	146.99	195.25	150.24	225.78	
13	हिमाचल प्रदेश	247.99	386.68	270.24	247.76	301.09	
14	जम्मू और कश्मीर	405.74	704.57	479.01	416.23	530.88	
15	झारखंड	352.98	183.30	430.91	596.03	664.30	
16	कर्नाटक	1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96	

17	केरल	388.23	397.98	444.98	325.43	306.64	
18	लद्दाख	14.70	14.67	18.79	18.79	19.62	
19	लक्षद्वीप	2.11	2.73	0.44	0.44	2.88	
20	मध्य प्रदेश	1085.47	1055.83	1011.57	1038.67	1123.11	
21	महाराष्ट्र	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52	
22	मणिपुर	228.92	177.28	135.95	167.74	201.28	
23	मेघालय	173.33	177.86	192.39	200.24	269.69	
24	मिजोरम	59.32	61.57	42.81	53.02	100.27	
25	नागालैंड	159.80	160.21	199.30	190.47	262.91	
26	ओडिशा	1065.98	871.20	923.92	884.96	968.80	
27	पुदुचेरी	2.78	6.13	0.12	6.68	4.48	
28	पंजाब	383.52	177.94	75.31	247.25	307.87	
29	राजस्थान	682.65	771.64	974.02	936.17	1091.96	
30	सिक्किम	25.73	24.59	20.33	24.09	33.49	
31	तमिलनाडु	655.38	681.28	766.81	741.30	880.79	
32	तेलंगाना	482.33	479.30	550.69	503.33	507.87	
33	त्रिपुरा	186.72	171.66	150.52	186.55	244.22	
34	उत्तर प्रदेश	2407.55	2341.91	2721.87	2622.64	2668.69	
35	उत्तराखंड	353.65	336.03	425.84	364.77	288.24	
36	पश्चिम बंगाल	668.35	1378.31	1227.59	1455.89	1237.56	

*****